(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2324–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 401/अपील/2011–12

.....

1–कमरूदद्वीन
2–रफीकउदद्वीन पुत्र कमरूदद्वीन
3–हनीफा बेगम पुत्री कमरूदद्वीन
4–सफरूद्वीन मृतक वारिसाना :–
अ–आफताव बेगम बेवा सफरूद्वीन
ब–शफीक उद्वीन
स–रिहाजुद्वीन
द–अजहरउद्वीन
य–अकरमउद्वीन
र–अन्जुम बानो पुत्री सफरूद्वीन
5–रानीउद्वीन मृतक वारिसाना :–
अ–जरीना बेगम बेवा रानीउद्वीन
ब–समरूद्वीन पुत्र रानीउद्वीन
स–सैबी पुत्री रानीउदद्वीन
निवासीगण तेजेन्द्रनाथ की गली दाल बाजार
लश्कर ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–उपेन्द्रकुमार पुत्र लक्ष्मणदास गर्ग
2–बालकिशन गोयल पुत्र तोताराम
3–पवनकुमार पुत्र श्यामबाबू गोयल
4–चन्द्रलाल पुत्र बालाराम कालरा
5–देवलाल पुत्र परमानन्द
निवासीगण दाल बाजार लश्कर
ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि मौजा शहर लश्कर ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 691/1 रकबा 0.146 हेक्टेयर के भूमि आवेदक कमांक 1 थे। उनकी मृत्यु होने पर नामान्तरण पंजी कमांक 19 में दिनांक 19–3–1991 को आदेश पारित कर हसीना बेगम का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । इसके पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का विकय दिनांक 27–7–1990 को अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय किया गया । नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानियॉ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर निगरानिया निरस्त की गई । प्रकरण वापिस विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर विचारण द्वारा दिनांक 25–1–2007 आदेश पारित कर पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–2–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–6–15 को आदेश

पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि आवेदकगण जिस दिनांक को अनुपस्थित थे उस दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई है ऐसी स्थिति में पेशी की सूचना आवेदकगण को दी जाना चाहिये थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय फकरूददीन द्वारा किया गया है जबकि राजस्व अभिलेखों में फकरूददीन का नाम दर्ज नहीं है और जिस व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है उसे भूमि विकय करने का अधिकार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि मृत भूमिस्वामी कमरूददीन के वैध वारिसान को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधि के प्रावधानों के विपरीत है तो उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु पर निर्णय लेना चाहिये था उसके बाद गुणदोष पर आदेश करना चाहिये । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक पक्ष को फखरूददीन की पावर ऑफ अटॉर्नी पर भूमि विकय

हुई है, लेकिन प्रकरण में किसी भी स्तर पर न तो फखरूददीन को बुलाया गया है और न ही पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत हुई है । आवेदकगण के नाम पहले भू अभिलेख पर आ चुके थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सभी को सुने तथा बिना पर्याप्त जॉच के आदेश किये गये हैं। अपर आयुक्त ने भी यह माना है कि तहसील न्यायालय में आवेदक पक्ष को सुना नहीं गया तथा वारिसाना के संबंध में भी पर्याप्त जॉच नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2012 तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2007 निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर